


9-2-24 परावली पेशदुही वकील पार्टी Not
उपास्थित। वकील पार्टी ने प्रकरण शब्द
में Not प्रकृत जाहिर किया। अतः प्र
पार्टी का प्रार्थना-पत्र खारिज
किया जाता है।

परावली फ़ैसल शुमार होकर
नम्बर से कम हो।


उपखण्ड अधिकारी
रूपनाद (अजमेर)